

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी श्री अजय
कुमार पाण्डेय



पैरोकार हे0का0
राजकुमार सिंह

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 7000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 12.12.2012 को वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना एवं दुष्कर्म करने की सूचना पर मु0अ0सं0 997/12 धारा 366, 376 भादवि थाना मोहनगंज पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय रायबरेली में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 15.05.2025 को माननीय न्यायालय एसजे/एफटीसी तृतीय रायबरेली द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 7,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ☐ अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास।
- ☐ अभियुक्त को 7,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- मो0 मलिक पुत्र लाल मोहम्मद निवासी पूरे कटरियन मजरे भदमर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी